तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज R.S.S.Act Case No.23/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
06.11.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दिनेश विश्नोई पुत्र श्री जगदीश विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– माधपुरा, मालीवास, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गुरुकृपा डेयरी, बस स्टेण्ड, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार प्रजापत उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 18.1.2022 को फर्म गुरुकृपा डेयरी, बस स्टेण्ड, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी दिनेश विश्नोई से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना संख्या S-1598 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./256/Act/2022/238 दिनांक 08.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, जिस पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई व श्री जगदीश प्रजापत ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 02.11.2023 को श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में दिनांक 02.11.2023 को प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी दिनेश विश्नोई से खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना लेने की कार्यवाही विधिवत नही की है एवं न ही मौके पर सम्मपन्न की गई है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी दिनेश विश्नोई के खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करवाये है। प्रतिवादी दिनेश विश्नोई से मिश्रित दूध का नमूना लेने की पूरी कार्यवाही विधि विरुद्ध है, [illegible] का पालन नही किया है। प्रतिवादी को खाद्य [illegible] जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रेषित [illegible] उक्त खाद्य पदार्थ ......ल	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज R.S.S.Act Case No.23/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

मिश्रित दूध के नमूने की रेफरल लेब से जांच करवाने के अधिकार से वंचित रहा है। अतः प्रतिवादी के विरुद्व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 18.1.2022 को फर्म गुरुकृपा डेयरी, बस स्टेण्ड, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी दिनेश विश्नोई पुत्र श्री जगदीश विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– माधुपुरा, मालीवास, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही से खाद्य पदार्थ Mixed Milk का जो नमूना संख्या S-1598 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु क्रय किया गया है, उस Mixed Milk का नमूना खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./256/Act/2022/238 दिनांक 08.2.2022 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना संख्या S-1598 को जांच हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत क्रय करने की कार्यवाही मात्र एक गवाह की उपस्थिति में की जाना मौका फर्द में अंकित किया है, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2001 के विनियमय संख्या 2.4.1(1) के अर्न्तगत यह आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूनों को लेते समय कम से कम दो साक्ष्यिों को बुलाएगा, परन्तु विचारणीय प्रकरण में श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा केवल मात्र एक सरकारी गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की उपस्थिति में प्रतिवादी दिनेश विश्नोई से उक्त खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना जांच हेतु क्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2001 के विनियमय संख्या 2.4.1(1) का उल्लंघन है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारणीय प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये गवाह सूची में अंकित किसी भी गवाह को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में यह तथ्य साबित नही होता है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी दिनेश विश्नोई से उक्त खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना संख्या S-1598 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही के लिये की पूर्ण कार्यवाई प्रतिवादी दिनेश विश्नोई के समक्ष मौके पर विधि अनुसार सम्पादित की गई हो।

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज R.S.S.Act Case No.23/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Mixed Milk की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./256/Act/2022/238 दिनांक 08.2.2022 को अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/242–44 दिनांक 25.2.2022 के द्वारा प्रतिवादी दिनेश विश्नोई को प्रेषित किये जाने के पत्र की प्रति न्याय निर्णय आवेदन के साथ प्रस्तुत की है, परन्तु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट प्रतिवादी दिनेश विश्नोई को उक्त पत्र क्रमांक 242–44 दिनांक 25.2.2022 के द्वारा पंजीकृत डाक से ही प्रेषित की गई हो, के संबंध में पंजीकृत डाक की भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी रसीद (Receipt) की प्रति न्याय निर्णय आवेदन के साथ प्रस्तुत नही की है। इससे यह तथ्य भी प्रमाणित नही होता है कि वस्तुतः प्रतिवादी दिनेश विश्नोई का खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./256/Act/2022/238 दिनांक 08.2.2022 की प्रति पंजीकृत डाक से प्रेषित की हो। चूंकि प्रतिवादी दिनेश विश्नोई के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को साबित करने में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी असफल रहे है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। **आदेश** अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26(2)(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी भलीभांति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया। (डॉ. भास्कर बिश्नोई) अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही	

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested